न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : पर्वत सिंह चुण्डावत , आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 24/21(प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2021/735

अनवान्

1. श्री मोतीलाल पिता वरदा जी भोई निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर हाल भोईयों की पंचोली जिला उदयपुर राज.।

.............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री वरदा पिता नारायण भोई निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री दशरथकुमार पिता गणेशलाल व्यास निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर.।
3. श्रीमती लीलादेवी पत्नी दशरथ कुमार व्यास चौबीसा निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
4. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार/उप पंजीयक वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.

..................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कैलाश चन्द्र खारीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री सुरेन्द्र कुमार चौबीसा, अधिवक्ता विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांकः–18.01.2024

1. प्रार्थीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया उसके साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की परिशिष्ट (क) आराजी न. 2653, 2654, 2656, 2657 शा.न. 2660, 2677, 2669, 2679, 2559 किता 5 रकबा 7 बिघा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में कना गोपाल वरदा प्रभु पिता नारायण भोई के नाम हिस्सा बराबर से अंकित थी। कना का निधन हो जाने से उसके हिस्से की भूमि उसके वारिशान विपक्षी 5 से 8 के नाम, प्रभु का निधन हो जाने से उसके हिस्से की भूमि उसके वारिशान विपक्षी 12 से 15 के नाम अंकित हुई । उक्त भूमि में से प्रभु के वारिशान विपक्षी 12 से 15 ने अपने 1/4 हिस्से की भूमि हिस्से की भूमि में से 1/7 हिस्सा विपक्षी स. 16 को विक्रय कर दिया जो विपक्षी 16 के नाम अंकित हैं और विपक्षी वरदा ने 1/4 हिस्से को विपक्षी स. 17 से 18 को विक्रय कर दिया जो विपक्षी 17, 18 के नाम पर अंकित है। परिशिष्ट (ख) आराजी न. 2658 रकबा 2 बिघा 11 विश्वा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में कना गोपाल वरदा प्रभु पिता नारायण भोई 1/2 जगनाथ पिता चुन्नीलाल ब्राहम्ण 1/2 सा.देह के नाम [illegible]। कना का निधन हो जाने से उनके हिस्से की भूमि उसके वारिशान [illegible] के नाम [illegible], देवकिशन निर्मला पिता प्रताप नाबालीग वाल्दा गंगा बाई बेवा प्रताप के नाम, प्रभु का निधन हो जाने से उसके हिस्से की भूमि उसके वारिशान विपक्षी 12 से 15 के नाम अंकित हुई एवं वरदा का 1/ 8 हिस्सा विकाय से

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.23 16:58:40 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी 17, 18 के नाम अंकित हैं। परिशिष्ट (ग) आराजी न. 2668 रकबा 2 बिघा 6 बिश्वा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में कना गोपाल वरदा प्रभु पिता नारायण भोई के नाम 1/3 वरदा पिता नारायण भोई के नाम 1/3, जगनाथ पिता चुन्नीलाल ब्राहम्ण के नाम 1/3 हिस्से से अंकित है एवं कना का निधन हो जाने से उसके हिस्से की भूमी उसके वारिशान विपक्षी 5 से 8 के नाम एवं देवकिशन निर्मला पिता प्रताप नाबालिग वाल्दा गंगा बाई बेवा प्रताप के नाम, प्रभु का निधन हो जाने से उसके हिस्से की भूमि उसके वारिशान विपक्षी 12 से 15 के नाम अंकित हुई। एवं वरदा का 1/12 हिस्सा एवं 1/3 हिस्से के बजाय बिकाव से विपक्षी 17, 18 के नाम 5/12 हिस्स से अंकित हैं। परिशिष्ट (घ) आराजी न. 2655 रकबा 6 विश्वा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में कना गोपाल वरदा प्रभु पिता नारायण भोई के नाम 13/20, वरदा पिता नारायण भोई के नाम 1/10, जगनाथ पिता चुन्नीलाल ब्राहम्ण के नाम 1/4 हिस्से से अंकित है कना का निधन हो जाने से उसके हिस्से की भूमी उसके वारिशान विपक्षी 5 से 8 के नाम एवं देवकिशन निर्मला पिता प्रताप नाबालिग वाल्दा गंगा बाई बेवा प्रताप के नाम, प्रभु का निधन हो जाने से उसके हिस्से की भूमी उसके वारिशान विपक्षी 12 से 15 के नाम अंकित हुई एवं वरदा का 13/80 एवं 1/10 हिस्सा बिकाव से विपक्षी 17, 18 के नाम 21/80 हिससे से अंकित हैं।

2. यह कि वादग्रस्त भूमि नारायण के निधन पश्चात उनके चारों पुत्रों के नाम विरासत से हिस्सा वराबर से अंकित हुई ओर वरदा के 1/4 हिस्से की भूमि में प्रार्थी का जन्म से ही 1/2 हक अधिकार होकर संयुक्त आधिपत्य हैं। वादग्रस्त भूमी में प्रार्थी का परिशिष्ट (क) में 1/8 (ख) में 1/16 (ग) में 5/24 (घ) 21/160 हक हिस्सा कब्जा उपयोग उपभोग चला आ रहा है। शेष हिस्सा राजस्व रेकर्ड में अंकित अनुसार अन्य सहखातेदारों का हैं। विपक्षी संख्या एक का प्रार्थी पुत्र होकर वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का जन्म से ही हक अधिकार है ओर विपक्षी संख्या एक के नाम उनके हक हिस्से से ज्यादा का अंकन होने से उन्होंने मुझ प्रार्थी को मेरे हक हिससे से महरूम रखने की नीयत से बिना हक अधिकार, बिना कब्जा, प्रार्थी के हक हिस्से की भूमी को विपक्षी 17, 18 को नुमाईशी तोर पर विक्रय कर दी जो मुझ प्रार्थी के मुकाबले अवैध होकर शुन्य प्रभावी है लेकिन इस अवैध हस्तान्तरण को आधार बनाकर विपक्षी 17, 18 प्रार्थी को जबरन बेदखल करने पर आमादा है और उस नाजायज उद्धेश्य की पुर्ति में विपक्षी 17, 18 ने प्रार्थी के हक व अधिकारों को चुनाती देते हुए धमकी दी की वे प्रार्थी को भूमि से जबरन बेदखल कर देगें ओर जमीन ऐसे लोगो को बेच देगें जो जबरन शरीर के बल पर प्रार्थी को बेदखल कर देगा एवं प्रार्थी के संयुक्त उपयोग उपभोग में भी बाधा पेदा करेगा जिस स्थिति में प्रार्थी को अपने हक व अधिकारों की रक्षा के लिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना न्याय हित में आवश्यक हो गया हैं। विपक्षीगण को इस अमर की अस्थाई निषोधाज्ञा से पाबन्ध कराया जाना न्याय हित में आवश्यक हो गया है। अतः विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.23 16:58:40 IST
Reason: SelfAttested

3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड होकर विपक्षी को नोटिस तामिल कराया गया। विपक्षी संख्या 1 के अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गयें। प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 एवं 3 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि

परिशिष्ट (क) में वर्णित आराजी शा.न. नम्बर 2660 के आगे 2677 नही होकर 2667 है एवं शेष राजस्व रेकर्ड में सही होने से स्वीकार हैं। सजरे में वरदा के शादी सुदा पत्नी गंगा बाई थी जिससे एक पुत्र नरेश पैदा हुआ। गंगा बाई एवं नरेश का निधन हो गया है जिनको सजरे में नही दर्शाया है जिससे गलत होकर अस्वीकार। वादग्रस्त भूमि विपक्षी स. वरदा के खातेदारी हक अधिकार एवं आधिपत्य की होकर प्रार्थी की संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पेत्रिक सम्पति नहीं हैं। यह कि वादग्रस्त भूमि नारायण के निधन बाद उनके चारों पुत्रों में हिस्सा बराबर से निहित होना स्वीकार है लेकिन विपक्षी सं.1 के नाम अंकित भूमि में प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य नहीं है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का किसी प्रकार का काई हक अधिकार एवं आधिपत्य नही है तो उसके द्वारा इस कलम में वर्णित हिस्से अनुसार उपयोग उपभो करने का सवाल ही पेदा नहीं होता हैं। विपक्षी स. 1 वरदा ने श्रीमती गंगा बाई पुत्री भगवान जी भोई निवासी टीलाखेडा से हिन्दु जाति रिति रिवाज के अनुसार शादी की उससे उक पुत्र नरेश हुआ तत्पश्चात गंगा बाई एवं नरेश का निधन हो गया है इसके अलावा अन्य कोई सन्तान नहीं है जब कि प्रार्थी भोईयों की पंचोली निवासी भेरा भोई की पुत्री श्रीमती मोहनी बाई की सन्तान है और प्रार्थी का जन्म भोईयों की पंचोली में हुआ उसके बाद मोहनी बाई का निधन हो गया ओर प्रार्थी भोईयों की पंचोली में ही निवास कर रहा है और वह आज दिन तक कभी भी भीण्डर नहीं आया और न ही उसका वादग्रस्त भूमि के किसी भी अंश पर कोई कब्जा है इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का जन्म से ही हक अधिकार होने का सवाल ही पेदा नहीं होता है। जहां तक विक्रय का सवाल है तो विपक्षी स. 1 वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में वर्णित अनुसार खातेदार काश्तकार होकर स्वामी अधिकारी होने से विपक्षी स. 1 ने दिनांक 24.04.12 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय तादादी 8,11,000/– आठ लाख ग्यारह हजार रूपये के प्रतिफल में विपक्षी 2, 3 को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया तब से वादग्रस्त भूमि पर विपक्षी स. 1 के हिस्से कब्जे की भूमि पर विपक्षी स. 2, 3 का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग है। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि के किसी भी अंश पर कोई कब्जा काश्त उपयोग उपभोग है प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि के किसी भी अंश पर कोई कब्जा नहीं होने से जब तक प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि के किसी भी अंश पर कोई कब्जा नहीं होने से जव तक प्रार्थी सक्षम न्यायालय में कब्जेयाबी का वाद हासिल नही कर ले तब तक यह वाद वास्ते घोषणा, बटवाडा, निषेधाज्ञा का वाद एवं प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं। विपक्षी स. 1 द्वारा विपक्षी 2, 3 के पक्ष में निष्पादित कराया गया विक्रय पत्र सही है ओर प्रार्थी जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से विपक्षी स. 1 द्वारा विपक्षी स. 2, 3 के पक्ष में निष्पादित कराया गया विक्रय पत्र को शुन्य घोषित नहीं करा ले तब तक भी प्रार्थी को यह वाद लाने का कोई अधिकार नहीं हैं। प्रार्थी ने विक्रय पत्र को शुन्य बताया है जो गलत है। विपक्षी 2, 3 विक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है ओर विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण सं. 5577 से विपक्षी 2, 3 के नाम अंकित है [illegible] नामान्तरण सं. 5577 दिनांक 8.05.2012 को स्वीकृत हुआ है और इस नामान्तरण को प्रार्थी [illegible] समक्ष न्यायालय में काई अपील प्रस्तुत नहीं कर गलत आधारहीन तथ्यों को आधार बनाकर यह वाद पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी ने नामान्तरण स्वीकृत होने के 08 माह बाद सोच विचार कथित वाद पेश किया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.23 16:58:40 IST
Reason: SelfAttested

जो चलने योग्य नहीं हैं। यह कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य ही नहीं है तो स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही करने से प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई क्षति होने वाली नहीं है जब कि वादग्रस्त भूमि के हम विपक्षी 2, 3 खातेदार काश्तकार होकर स्वामी अधिकारी एवं आधिपत्यधारी है ओर खातेदार कब्जेदार के विरूद्ध किसी पकार से स्थाई निषेधाज्ञा जारी ही नहीं की जा सकती है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी जाती है तो हम विपक्षीगण को इतनी अशोधनीय हानी होगी जिसका एवजाना नकदी में किसी भी सुरत में नहीं आंका जा सकेगा। हम विपक्षीगण का प्रथम दृष्टया केस होकर सुविधा सन्तुलन एवं अतुलनीय क्षति के तीनो बिन्दु हम विपक्षीगण के पक्ष में है। अतः विपक्षी संख्या 2, 3 द्वारा विशेष कथन पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

4. हमने प्रकरण में उभयपक्ष की बहस को सुना। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

I. Awtar khan v/s Meharbano and ors.
R.R.T. 2015(1) page-633.

II. Bachhusing v/s Rikhbhan singh and ors.
R.R.T. 2017(1) Page-360.

III. Kalu and ors v/s Jagdish parsad and ors.
R.R.T. 2013 (1) Page-133.

IV. Omprakash and ors v/s Dwarka prasad and ors.
R.R.T.(2) Page-1323.

5. हमने विद्वानों की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषधाज्ञा निर्णय के लिए तीनों बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है।

1. **प्रथम दृष्टया मामला :–** प्रकरण में प्रथम दृष्टया यह पाया कि प्रार्थी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया उसी के साथ प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैतृक सम्पति है जिसमें प्रार्थी का भी हक हिस्सा निहित है जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा जवाब पेश कर कहा कि प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात को विपक्षी सं. 2, 3 द्वारा रजिस्टर्ड विरूद्ध पत्र द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। विक्रय पत्र दिनांक 2[illegible] को निष्पादित किया हैं तभी से प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात पर विपक्षी संख्या 2, 3 का [illegible]कशित उपयोग उपभोग कर रहें हैं। हमने प्रार्थना पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से प्रथम दृष्टया यह पाया कि प्रार्थी का यह कहना कि प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की पैतृक सम्पति हैं। इस कथन

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.23 16:58:40 IST
Reason: SelfAttested

को मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किया जाएगा उसके वाद ही वादग्रस्त भूमि में उनका हक हिस्सा होने या नही होने का निर्णय होना है। जबकि वर्तमान में विपक्षी संख्या 2, 3 प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार से क्रय की गई। विपक्षी वर्तमान राजस्व अभिलेख में खातेदार काश्तकार हैं। खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णत किया जाता हैं।

2. **सुविधा संतुलन** :– प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में विपक्षी खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये जाने से सुविधा संतुलन या बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

3. **अपूरणीय क्षति** :– प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता हैं।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध मूल वाद में बंटवाडा, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का यह कहना कि प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की पैतृक सम्पति हैं। इस कथन को मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किया जाएगा उसके वाद ही वादग्रस्त भूमि में उनका हक हिस्सा होने या नही होने का निर्णय होना है। जबकि वर्तमान में विपक्षी संख्या 2, 3 प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार से क्रय की गई। विपक्षी वर्तमान राजस्व अभिलेख में खातेदार काश्तकार हैं। खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जा चुका हैं अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.23 16:58:40 IST
Reason: SelfAttested